

झारखण्ड सरकार

## झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन)  
विधेयक, 2015

[ सभा द्वारा यथापारित ]



सत्यमेव जयते

2015

## झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन)

विधेयक, 2015

[ सभा द्वारा यथापारित ]

विषय सूची

खण्ड |

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ |
2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में  
अन्तःस्थापन |

## झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

### [ सभा द्वारा यथापारित ]

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान—मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह 1ली अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त माना जायेगा ।

झारखण्ड  
अधिनियम  
9/2001  
की धारा—4  
का संशोधन

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा—4 में निम्नांकित को

प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने की तिथि से झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के परिच्छेद-II के अन्तर्गत धारा—4 के पारा—1 में “150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़)” के स्थान पर “500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये” एवं पारा—2 में “एक सौ पचास करोड़ रुपये” के स्थान पर “500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये” प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

-----

यह विधेयक झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 26 मार्च, 2015 के झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 26 मार्च, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(दिनेश उराँव)  
अध्यक्ष।